

# अग्निशमन सेवा मुख्यालय, बाराखाण्ड, राँची।

दिनांक-15वीं सितम्बर 2022

सेवा में,

**MRS. RINKU SINGH AND MRS. MANJU SHARMA,**  
SAMRIDHI APARTMENT,  
H. NO. 108 , PRERNA SARALA APARTMENT , BARADWARI ,  
SAKCHI , JAMSHEDPUR.

**विषय:-** मौजा-ULIYAN, प्लॉट नं0-34 , 37 (NEW) , 1209 , 1216 (OLD) खाता नं0-4 (OLD), 468 (NEW), वार्ड नं0-2, थाना-1158, जिला-East Singhbhum(Purbi) में प्रस्तावित बहुमंजिली आवासीय भवन हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह।

उपर्युक्त विषयक ऑन-लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार प्रस्तावित बहुमंजिली आवासीय भवन की जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, गोलमुरी, जमशेदपुर के माध्यम से प्रस्तावित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक-817 दिनांक-14.09.2022 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित बहुमंजिली आवासीय भवन हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. प्रस्तावित भवन परिसर के सामने वाले भाग में कम से कम 75,000 लीटर की क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण ऐसे स्थान पर कराया जाय, जहाँ अग्निशमन वाहन आसानी से पहुँचकर पानी ले सके।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ-आउट कनेक्शन दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. भवन में अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम 20,000 लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ मुख्य स्टेयरकेश लॉबियों में 150mm डायामेटर वाले एक वेट राईजर कम डाउन कमर सिस्टम का संस्थापन कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 30 मी0 लम्बा होज रील होज, 63 MM डायामेटर का डिलिवरी आउटलेट तथा एक-एक अदद डिलिवरी होज एवं एक-एक अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
5. भवन के बेसमेन्ट एवं सतही तल को स्वचालित स्पिंकलर से सुरक्षित किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्पिंकलर के एक हेड से दूसरे की दूरी मानक से अधिक न हो।
6. अग्निशमन कार्य हेतु एक पम्प हाउस का निर्माण कराया जाय, जिसमें 1650 Lpm क्षमता का एक फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय।
7. 900 Lpm क्षमता वाले एक टेरेस पम्प का संस्थापन कराया जाय।
8. इन सभी पम्पों को स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
9. पंपिंग सिस्टम पॉजिटिव सक्शन वाले रहेंगे।
10. उपर्युक्त भवन के प्रत्येक लिफ्ट को फायर लिफ्ट के रूप में निर्मित किया जाय, जिसकी क्षमता 544 के0जी0 से कम की न हो। इसे स्वतंत्र रूप से वैकल्पिक पावर के माध्यम से जोड़कर रखे जाने की व्यवस्था की जाय। सीढ़ियों को Enclosed Staircase के रूप में निर्मित किया जाय।
11. प्रत्येक तलों के प्रत्येक स्टेयरकेश लॉबी में कम से कम दो घंटा अग्नि-रोधी फायर चेक डोर का संस्थापन कराया जाय।
12. सेटबैक एरिया NBC मानक के अनुरूप होना चाहिए।
13. सतही तल मुख्य प्रवेश द्वार के पास फोरवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।
14. Exit & Leading to Exit Way को कभी भी किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय। सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी स्थिति में ट्रेवेल डिस्टेंस 30 मीटर से अधिक नहीं हो।
15. भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से ही कराया जाय।

17. मेन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय।
18. बेसमेन्ट से जल निकासी की समुचित व्यवस्था की जाय। बेसमेन्ट में Transformer, Boiler, Pressurized Cylinder, Generator, A.C न रखें जाय। भवन में बेसमेन्ट वाले भाग में समुचित Ventilation की व्यवस्था रखी जाय, ताकि प्रति घंटा कम से कम 12 से 15 एयर चेंज होता रह सकें एवं आपात स्थिति में इसे 30 एयर चेंज तक बढ़ाया जा सकें। बेसमेन्ट के लिये अलग से सीढ़ी एवं लिफ्ट की व्यवस्था रखी जाय अथवा सतही तल पर ऐसी व्यवस्था रखी जाय कि उपरी तलों से सीढ़ी/लिफ्ट से आने पर सतही तल पर रुकने के बाद ही बेसमेन्ट के लिए प्रस्थान कर सकें।
19. बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0टू0 तथा 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
20. Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाइंट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेश लॉबी में हो।
21. भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
22. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने से पूर्व एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
23. अग्नि-सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जायेंगे।
24. भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
25. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

**JAGJEEWAN  
RAM**

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM  
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME  
JAB AND DISASTER MANAGEMENT,  
2.5.4.29=6e184d86a747613d2f4c403b5001134ec2902b6bf  
90be3cc4ec5f0dd851f54d7, postalCode=834002,  
st=Jharkhand,  
serialNumber=19585870ee67dbaf143b636d6f0c97a7bc8a  
01d90f3ec025de5383159f431a70, cn=JAGJEEWAN RAM  
Date: 2022.09.15 16:56:52 +05'30'

(जगजीवन राम)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,  
झारखण्ड, राँची।